प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 से उद्धरण

16 फीस का उद्ग्रहण

(1) परिषद, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए फीस ऐसी दर पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों **से** उद्ग्रहीत कर सकेगी और विभिन्न समाचारपत्रों के लिए विभिन्न दरें, उनके प्रचार और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए विहित की जा सकेगी।

(2) परिषद को उपधारा (1) के अधीन संदेय कोई फीस, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

प्रेस परिषद विनियम 1979 की धारा 10 (2) के अंश

10 फीस का उद्ग्रहण

(2) परिषद रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों और समाचार अभिकरणों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा मांग सूचनाएं भेज कर उनसे मांग करेगी कि वे उप-नियम (1) में उपदर्शित फीस परिषद को प्रेषित करें और ऐसे रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र और समाचार अभिकरण इस प्रकार मांग की गई फीस की रकम, ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर परिषद को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित करेंगे।